ब्याज पर ब्याज नहीं मिलेगा

सरकारी पैसे पर सरकार से ब्याज लेने के चलन पर लगी रोक

कन्हैया लोधी

भोपाल, 27 जुलाई. पैसा यदि कमाई का है तो फिर उस पर ब्याज लेना जायज है, लेकिन यदि पैसा भी उसी का है, जिससे ब्याज लिया जा रहा है, तो फिर भला ऐसे राशि पर ब्याज लेने की क्या तुक? कमोबेश इसी तरह के चलन पर अब वित्त विभाग की नजर पड़ गई है और इस नजर का असर ये है कि विभाग ने निगम, मंडल, प्राधिकरण, सोसायटियों द्वारा सरकारी पैसे पर ही सरकार से ब्याज लेने के चलन पर सख्ती से रोक लगा दी है.

इतना ही नहीं मूलधन पर ब्याज लेना तो समझ आता है, लेकिन मूलधन के साथ ब्याज पर भी ब्याज लिया जा रहा था, ऐसे में वित्त विभाग ने इस पर भी कैंची चला दी है. हाल ही में वित्त विभाग ने सभी विभागों, विभागाध्यक्ष, कलेक्टरों को बाकायदा पत्र लिखा है. ये पत्र मप्र कोषालय संहिता 2020 के तहत विशेष जमा खातों में जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज दर के निर्धारण के संबंध में है. इस पत्र में वित्त विभाग ने राज्य सरकार के विभिन्न संस्थानों जैसे निगम, मंडल, स्थानीय निकाय, नगरीय एवं ग्रामीण प्राधिकरण और सोसायटियों द्वारा कोषालय में संधारित किए जाने वाले विशेष जमा खातों के लिए ब्याज दरों को लेकर नए निर्देश दिए हैं.

वित्त विभाग ने सभी विभागों को लिखे पत्र में साफ कर दिया है कि अब विशेष जमा खातों में संधारित राशि पर 2.50 फीसदी प्रतिवर्ष की दर से ही साधारण ब्याज मिलेगा. यानी बाजार दर या फिर बैंकों के सामान्य दरें इस पर लागू नहीं होंगी. यह ब्याज भी 6 माह के अंतराल पर दिया जाएगा. किसी भी स्थिति में ब्याज पर ब्याज नहीं दिया जाएगा. यानी अब ब्याज को मूलधन की राशि से अलग कर ब्याज की गणना की जाएगी. साफ है कि अब केवल मूलधन पर ब्याज मिलेगा.

वित्त विभाग के नए निर्देशों के मुताबिक अब ब्याज केवल संबंधित संस्थानों के स्वयं के स्त्रोतों से प्राप्त एवं जमा की गई राशि पर ही मिलेगी. केंद्र सरकार या राज्य सरकार की संचित निधि से प्राप्त किसी भी राशि या योजनाओं के फंड पर कोई ब्याज देय नहीं होगा. राशि जमा करते समय संस्थान के अधिकृत प्रशासक के लिए यह जरुरी होगा कि वह ऐसा प्रमाणीकरण दे, कि जमा की जा रही राशि का स्त्रोत राज्य या केंद्र की संचित निधि नहीं है.

30 दिन से कम अवधि पर नहीं मिलेगा ब्याज

वित्त विभाग के नए निर्देशों में कहा गया है कि विशेष जमा खाते से धन निकासी, आहरण के समय आहरित की जा रही राशि पर उसके जमा दिनांक से आहरण दिनांक तक की अवधि के लिए सिस्टम द्वारा स्वत : ब्याज की गणना की जाएगी. इसी तरह विशेष जमा खातों में राशि जमा होने के बाद न्यूनतम 30 दिनों की अवधि पूर्ण होने पर ही ब्याज की पात्रता होगी. यानी साफ है कि 30 दिन से कम अवधि के जमा पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा.

वीरान ग्रांड होटल में फिर लौटेगी रौनक, प्राचीन इमारत में तोड़फोड़ शुरू

- सिंहस्थ से पहले हेरिटेज होटल के रूप में होगा कायाकल्प
- नगर निगम ने भवन पर्यटन विकास निगम को सौंपा
- 10 करोड़ रुपये से होगा जीर्णोद्धार

उज्जैन. लंबे समय से अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही प्राचीन इमारत अब एक बार फिर सुर्खियों में है, शहर के हृदय स्थल टावर चौक स्थित ऐतिहासिक ग्रांड होटल जो वीरान पड़ी थी उसमे एक बार फिर रौनक लौटने की तैयारी शुरू हो गई है. वर्षों से नगर निगम के उपयोग में रहा यह भवन अब मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम को सौंप दिया गया है. सिंहस्थ-2028 से पहले इसे हेरिटेज होटल के रूप में विकसित कर पर्यटकों के लिए खोला जाएगा. भवन के हस्तांतरण के साथ ही मरम्मत और जीर्णोद्धार का काम भी शुरू हो गया है.

कलेक्टर रोशन कुमार सिंह के निर्देश पर करीब 2.60 हेक्टेयर भूमि पर्यटन विकास निगम को हस्तांतरित की गई. नगर निगम परिषद की स्वीकृति मिलने के बाद नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया. इसके बाद निगम के कर्मचारियों ने कार्यालय खाली कर अपना सामान हटा लिया और भवन का विधिवत कब्जा पर्यटन विकास निगम को सौंप दिया गया.

कामकाज खत्म, रिनोवेशन शुरू

पर्यटन विकास निगम के अधिकारी राजकुमार रघुवंशी ने बताया कि ग्रांड होटल के रेनोवेशन का कार्य प्रारंभ हो चुका है. पुराने और अनुपयोगी सामान को हटाया जा रहा है तथा मरम्मत और रंग-रोगन का काम शुरू कर दिया गया है. नगर निगम द्वारा जो कार्य होता था वह खत्म कर दिया गया है, लक्ष्य है कि सिंहस्थ-2028 से पहले होटल पूरी तरह तैयार होकर पर्यटकों की सेवा में उपलब्ध हो जाए.

8 करोड़ से होगा कायाकल्प - करीब 8 करोड़ 60 लाख 17 हजार रुपये की लागत से होटल का व्यापक जीर्णोद्धार किया जाएगा. लॉन, सभी अतिथि कक्ष, किचन और अन्य सुविधाओं को आधुनिक स्वरूप दिया जाएगा, लेकिन भवन की मूल हेरिटेज पहचान और ब्रिटिशकालीन स्थापत्य शैली को यथावत सुरक्षित रखा जाएगा. इसी कारण मरम्मत का कार्य भी पारंपरिक शैली और तकनीक के अनुरूप किया जाएगा. बाकी की राशि दूसरे कार्यों में खर्च होगी.

होटल में 12 कमरे

ग्रांड होटल में कुल 12 कमरे हैं, जिनमें छह भूतल और छह प्रथम मंजिल पर स्थित हैं. इसके अलावा विशाल लॉन और किचन की सुविधा उपलब्ध है. होटल का लॉन एक साथ लगभग एक हजार लोगों के आयोजन की क्षमता रखता है. पर्यटन विकास निगम इसे महाकाल मंदिर क्षेत्र स्थित सम्राट विक्रमादित्य हेरिटेज होटल की तर्ज पर संचालित करेगा. हेरिटेज श्रेणी का होटल होने के कारण यहां ठहरने का किराया सामान्य होटलों की तुलना में अधिक रहने की संभावना है.

अब पर्यटन के पांच होटल

महाकाल महालोक के विकसित होने के बाद उज्जैन में देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है. इसी बढ़ती मांग को देखते हुए इस परियोजना को गति दी गई है. ग्रांड होटल शुरू होने के बाद पर्यटन विकास निगम के उज्जैन में पांच होटल हो जाएंगे. वर्तमान में अवंतिका, उज्जैनी और शिप्रा रेसिडेंसी सहित निगम के अन्य आवासीय परिसर अधिकांश समय पूर्ण क्षमता के साथ संचालित होते हैं. ऐसे में ग्रांड होटल के शुरू होने से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को एक और उच्चस्तरीय हेरिटेज आवास सुविधा उपलब्ध होगी.

गुरू पूर्णिमा महोत्सव में शामिल होंगे सीएम

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 27 जुलाई. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर 29 जुलाई को उज्जैन के माधव विज्ञान महाविद्यालय में आयोजन किया जायेगा.

मुख्यमंत्री द्वारा हाई स्कूल एवं हायर सेकंडरी की बोर्ड परीक्षा में 90 प्रतिशत या उससे अधिक परिणाम देने वाले शासकीय विद्यालयों के प्राचार्यों का सम्मान, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस पर आधारित मिशन बुनियाद परियोजना का शुभारंभ और स्कूल शिक्षा विभाग के नवनियुक्त प्राथमिक शाला शिक्षकों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा. राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के शासकीय स्कूलों, कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों सर्वांगीण विकास, भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के संवर्धन और गुरु-शिष्य परंपरा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है. इसके अंतर्गत स्कूलों, कॉलेजों में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं, नैतिक मूल्यों एवं गुरु के प्रति आदर की भावना से जोड़ा जाएगा.

शिक्षा समाज और राष्ट्र निर्माण की सबसे सशक्त आधारशिला : तोमर

मुरैना. विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने सोमवार को कहा कि शिक्षा समाज और राष्ट्र निर्माण की सबसे सशक्त आधारशिला है तथा सांदीपनि विद्यालयों की स्थापना से शासकीय विद्यालयों में भी निजी विद्यालयों के समान आधुनिक संसाधनों से युक्त, गुणवत्तापूर्ण एवं नवाचार आधारित शिक्षा का वातावरण उपलब्ध होगा. तोमर ने सबलगढ़ में 34 करोड़ 48 लाख रुपये की लागत से निर्मित सांदीपनि शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय भवन के लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा तथा प्रदेश सरकार की पहल पर के प्रत्येक विकासखंड में सांदीपनि विद्यालय विकसित किए जा रहे हैं.

41.58 लाख गबन मामले में फरार शाखा प्रबंधक गिरफ्तार

खरगोन, 27 जुलाई. खरगोन जिले में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की ठीबगांव शाखा में 41.58 लाख रुपये के गबन के मामले में फरार चल रहे शाखा प्रबंधक को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया.

जैतापुर थाना प्रभारी सुदर्शन कलोसिया ने बताया कि शाखा प्रबंधक राजेश राठौर को सोमवार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. उसे बैंक की ठीबगांव शाखा में 41 लाख 58 हजार 95 रुपये के गबन के मामले में आरोपी बनाया गया है. उन्होंने बताया कि 25 मई को बैंक की कैशियर रितु गोयल के अचानक फरार होने के बाद बैंक द्वारा की गई आंतरिक जांच में गबन का खुलासा हुआ था. इसके बाद 29 मई को जैतापुर थाने में प्रकरण दर्ज कराया गया. पुलिस के अनुसार जांच में सामने आया कि गबन की पूरी राशि रितु गोयल ने हड़पी थी. मामले में शाखा प्रबंधक राजेश राठौर तथा बैंक कर्मचारी त्र्यंबक वाणी की संलिप्तता पाए जाने पर उन्हें भी आरोपी बनाया गया. जांच में यह भी पता चला कि रितु गोयल ने गबन की अधिकांश राशि ऑनलाइन गेमिंग में खर्च कर दी, जबकि शेष रकम परिवार के साथ हवाई यात्राओं और होटलों में ठहरने पर खर्च की.

मुरैना में बुजुर्ग महिला की गला रेतकर हत्या

मुरैना. जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने एक बुजुर्ग महिला की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी और उसके सोने के आभूषण लूटकर फरार हो गए.

कृषि योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही : कुणाल

खाद संकट और फसल खरीदी को लेकर कांग्रेस का हमला

विशेष संवाददाता

भोपाल, 27 जुलाई. प्रदेश में किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने सोमवार को केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने आरोप लगाया कि फसल खरीदी, उर्वरक उपलब्धता और कृषि कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन में गंभीर लापरवाही के कारण किसान भारी संकट का सामना कर रहे हैं.

भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कुणाल चौधरी ने कहा कि प्रदेश में लगभग 20 लाख मीट्रिक टन मूंग उत्पादन का अनुमान होने के बावजूद सरकार ने केवल 4.5 लाख मीट्रिक टन खरीदी का लक्ष्य तय किया और अब तक मात्र 36,682 मीट्रिक टन मूंग की ही खरीदी हो सकी है. उनका आरोप था कि खरीदी की धीमी गति के कारण किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दाम पर अपनी उपज बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. गेहूं उत्पादकों को अपेक्षित बोनस नहीं मिला, जबकि मक्का और केला उत्पादकों को कम बाजार भाव और फसल नुकसान के कारण भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ी.

> किसानों को यूरिया प्राप्त करने के लिए महंगे उर्वरक खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि इसका सबसे अधिक लाभ बीमा कंपनियों को मिल रहा है. कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि समर्थन मूल्य पर पूरी मूंग खरीदी सुनिश्चित नहीं की गई तो पार्टी किसान संगठनों के साथ मिलकर प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू करेगी. इस दौरान पार्टी प्रवक्ता राहुल राज ने भी आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए भोपाल आ रहे किसानों को प्रशासन द्वारा रोका जा रहा है और सरकार से किसानों के साथ संवाद स्थापित करने की मांग की.

पूर्वी मप्र में तेज बारिश के आसार, भोपाल में बौछारें

नवभारत न्युज

भोपाल, 27 जुलाई. मध्यप्रदेश में मानसून फिर सक्रिय हो गया है. बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव और सक्रिय मानसूनी ट्रफ के प्रभाव से मंगलवार को प्रदेश के पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में अच्छी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है.

मौसम विभाग के अनुसार भोपाल समेत मध्य क्षेत्र में दिनभर बादल छाए रहेंगे और कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. विभाग ने कई जिलों के लिए बिजली गिरने और तेज हवा चलने की चेतावनी भी जारी की है.

पिछले 24 घंटे के दौरान रीवा संभाग में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई. सतना में सर्वाधिक 53.9 मिमी वर्षा रिकॉर्ड हुई, जबकि सीधी, खंडवा, नरसिंहपुर, होशंगाबाद (नर्मदापुरम), जबलपुर और मंडला सहित कई जिलों में भी अच्छी बारिश हुई. भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और पश्चिमी मध्यप्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी दर्ज की गई. बारिश के कारण कई जिलों में अधिकतम तापमान में गिरावट आई और उमस से राहत मिली. मौसम विभाग के अनुसार उमरिया, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है. इन क्षेत्रों में 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है. वहीं भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, हरदा, बैतूल, नर्मदापुरम, खंडवा, खरगोन, धार, इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर-मालवा, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल और अनूपपुर समेत कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का अनुमान है. भोपाल में मंगलवार को अधिकतम तापमान करीब 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने तथा मौसम संबंधी ताजा चेतावनियों का पालन करने की सलाह दी है.

उर्वरक वितरण व्यवस्था की उच्च स्तरीय जांच की मांग

भोपाल, 27 जुलाई. किसान नेता केदार शंकर सिरोही ने मध्यप्रदेश की उर्वरक वितरण व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाते हुए इसकी उच्चस्तरीय स्वतंत्र जांच कराने तथा पिछले 20 वर्षों के उर्वरक वितरण का श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है.

सिरोही ने एक बयान में कहा कि प्रदेश में किसानों को समय पर और पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराना कृषि विभाग की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक है. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले लगभग दो दशकों से उर्वरक वितरण व्यवस्था का संचालन मुख्य रूप से एक ही अधिकारी के माध्यम से होता रहा है और सेवानिवृत्ति के बाद भी उन्हें संविदा व्यवस्था के तहत इस जिम्मेदारी पर बनाए रखा गया है. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कृषि विभाग में ऐसा कोई अन्य सक्षम अधिकारी नहीं है जो इस दायित्व का निर्वहन कर सके तथा क्या पिछले 20 वर्षों में किसी वैकल्पिक व्यवस्था या उत्तराधिकारी को तैयार नहीं किया गया.

जेल में बंद कैदियों की पैरवी को लेकर निगरानी बढ़ी

वकीलों के लिए वकालतनामे के साथ पहचान और सनद जरूरी

नव भारत न्यूज

इंदौर. जेलों में बंद कैदियों के न्यायालयीन मामलों में पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं की पहचान अब पूरी तरह सत्यापित की जाएगी. जेल प्रशासन ने व्यवस्था में बदलाव करते हुए वकालतनामा जमा करने के साथ अधिवक्ताओं से पहचान पत्र और बार काउंसिल की सनद की प्रति देना अनिवार्य कर दिया है.

नए निर्देश के बाद अब जेलों में बंद किसी भी कैदी के प्रकरण में पैरवी के लिए आने वाले वकील को सिर्फ वकालतनामा प्रस्तुत करना पर्याप्त नहीं होगा. उसे आवेदन पत्र के साथ अपना परिचय पत्र और अधिवक्ता के रूप में पंजीयन प्रमाण पत्र भी देना होगा. जेल प्रशासन ने यह आदेश प्रदेश की सभी जेलों के अधिकारियों को जारी कर दिया है. दरअसल, जेलों में बंद बंदियों से अधिवक्ता मुलाकात कर उनके मामलों की जानकारी लेते हैं और न्यायालयीन पैरवी की तैयारी करते हैं. नई व्यवस्था के तहत जेल प्रशासन अब यह सुनिश्चित करेगा कि बंदियों से मिलने और उनके प्रकरणों में पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं का रिकॉर्ड भी उपलब्ध रहे. जेल अधिकारियों के मुताबिक यह प्रक्रिया सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और जेल में होने वाली प्रत्येक अधिकृत मुलाकात का रिकॉर्ड व्यवस्थित रखने के उद्देश्य से लागू की गई है.

> मौसम विभाग ने चेतावनी के साथ बालाघाट, सिवनी, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, सतना, पन्ना, रीवा, मैहर, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली में मध्यम गरज-चमक के साथ मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है. इन जिलों में एक घंटे के दौरान 5 से 15 मिमी तक वर्षा और आकाशीय बिजली गिरने की 30 से 60 प्रतिशत संभावना है.

GYANODAYA UNIVERSITY
Neemuch (M.P.)

Gyanodaya University is officially inviting online applications for its Ph.D. Admission Test across multiple research departments for the academic session.

Ph.D. ADMISSION NOTICE – 2026

OFFERED DEPARTMENTS

- Management
- Mechanical Eng.
- Sociology
- Comp. Science
- Comp. Sci. Eng.
- Psychology
- Commerce
- Biotechnology
- Political Sci.
- Pharmacy
- Physics
- English
- Social Work
- Chemistry
- Hindi
- Electrical Eng.
- Economics
- Education
- Library Sci.

WHY CHOOSE GYANODAYA UNIVERSITY?

- UGC Recognized University
- Digital Library Access
- Modern Research Resources
- Experienced Academic Guides
- Transparent Thesis Evaluation

Link of Online Application Form
https://forms.gle/xgptJ1DbtYewhtg2A

Scan QR Code to Apply

CONTACT & APPLICATION PORTAL
Official Web Portal: gyanodayauniversity.ac.in
Email Helpdesk: phdsection@gyanodayauniversity.ac.in
Contact For Admission
99074 57573, 78280 03779

Registrar
Gyanodaya University,
Neemuch (M.P.)

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशुतोष उपाध्याय द्वारा 6/54, फिरोज गांधी प्रेस काम्प्लेक्स, इंदौर से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि. , फिरोज गांधी प्रेस कॉम्प्लेक्स इंदौर से मुद्रित. समूह संपादक क्रांति चतुर्वेदी*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन/फैक्स- 4096718 RNI Reg. No.7590/60